

21 21

प्रस्तावना

2302-21

पत्रावली में दो हुई कमील कादी हाजिर
 नहीं आये हैं। पत्रावली कोष इतिहासीका
 की लकी हेतु राजिस्टर्ड नलकना केहा किसे
 जाने हेतु वर्ष 2019 से लंबित है। कमील
 कादीया/कादीया को आज न्यायालय में
 पुत्रक-पुत्रक समय पर तीन-तीन बार
 आये लकवासी सही। साथ 5:00 बजे तक
 हाजिर नहीं आये पर कादी द्वारा प्रस्तुत
 वाद वाकल विभाजन व स्थायी निवेधाना
 अंतर्गत धारा 53 व 188 राज. काइतकरी
 अधिनियम हतद्वारा खारिज किया जाता
 है। उक्त वादपत्र अदम हाजिर, अदम
 पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फेमल शुमार लेख नंबर से कम होकर
 दाखिल हफ्तार हो। निर्णय खुले न्यायालय
 में लिया जाकर सुनाया गया। न्यायालय
 सूबर व मेरे हस्ताक्षर से निर्णय जारी
 किया गया।

सहायक कलेक्टर
 साँभर लेक

